संख्या 15/2017/102/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800(52)/2012

प्रेषक,

रंगनाथ पाण्डेय,

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा0 उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 14 फरवरी,2017**

विषय- मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आवासीय भवन (मा0 मुख्य न्यायाधीश आवास , लाल बहादुर शास्त्री अतिथि गृह परिसर , 3 नम्बर राजभवन कालोनी परिसर, ट्रांजिट हास्टल परिसर, रिवर बैंक कालोनी अतिथि गृह परिसर एवं अन्य परिसर) कें उद्यान एवं लॉन के रख- रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के पत्र सं0-555/2017, दिनांक 16 जनवरी,2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आवासीय भवन (मा0 मुख्य न्यायाधीश आवास , लाल बहादुर शास्त्री अतिथि गृह परिसर , 3 नम्बर राजभवन कालोनी परिसर, ट्रांजिट हास्टल परिसर, रिवर बैंक कालोनी अतिथि गृह परिसर एवं अन्य परिसर) कें उद्यान एवं लॉन के रख-रखाव हेतु आकलित लागत रू013,58,000/- के आगणन पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में **रू0 7,00,000/- (रू0 सात लाख मात्र)** की धनराशि शासनादेश सं0-212/2016/2484(2)/सात-न्याय-9(बजट)-2016-800(52)/2012, दिनांक 03 अक्टूबर,2016 द्वारा स्वीक़ृत की गयी है, तत्क्रम में कार्य को पूर्ण करने हेतु **अवशेष धनराशि रू006,58,000/- (रूपये छः लाख अठावन हजार मात्र)** निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- चूंकि उक्त अनुरक्षण कार्य उद्यान विभाग, लखनऊ द्वारा कराया जाना है, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2017 तक अवश्य कर लिया जायेगा ।

3- संदर्भित शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर,2016 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक '' 2014- न्याय प्रशासन - आयोजनेतर- 800-अन्य व्यय - 06-विभागीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान -29- अनुरक्षण (भारित) '' के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंगनाथ पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

संख्या-15/2017/ 102(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ /मुख्य कोषाधिकारी, सिविल लाइन इलाहाबाद ।

5- उद्यान अनुभाग, उ0प्र0 शासन / निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- वित्त ई- 12 / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।